// न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास तहसील

छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा *

R.No. 49/97 प्रकरण क्रमांक 3/बी-113(1)/88-89.

अध्यक्ष,
शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा ....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

आदेश

7/6/97

अध्यक्ष, शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा द्वारा एक आवेदन मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम 1951 (जिसेअत्र पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा -4 के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया है । आवेदक ने अपने आवेदक पत्र मे यह व्यक्त किया है कि शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा (जिसे अत्र पश्चात् न्यास कहा गया है) शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा का उद्देश्य स्कूली छात्रो को जो गरीब है उन्हे छात्रवृति प्रदान करना गरीब व्यक्तियो के इलाज हेतु वित्तिय सहायता प्रदान करना, सस्कृत भाषा का प्रचार करना, अन्धे, बहरे गूंगे, गरीब व्यक्तियो को सहायता, गरीब विधवाओ को सहायता प्रदान करना, शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा की स्थापना थाना छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा मे होगी । आवेदक द्वारा आवेदन का विधिवत् सत्यापन किया गया है । एंव नियमावली प्रस्तुत की गई । आवेदक ने शक्ति ट्रस्ट को न्यास के रुप मे पंजीयकरण करने की प्रार्थना की है ।

2- प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।

3- आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य मे अधिनियम की धारा -5(2) के अधीन लोक सूचना दिनांक 24/9/92 को जारी की गई तथा मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 30/10/92 को किया गया । लोक सूचना का प्रकाशन होने के उपरान्त निर्धारित अवधि मे उसके पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है ।

4-. अधिनियम की धारा -5(1) के अर्न्तगत लोक न्यास का पंजीकृत किये जाने के पूर्व निम्न बिन्दुओ पर जांच की जाना हैं :-

(क) क्या शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा लोक न्यास है ।

(ख) क्या लोक न्यास की कोई सम्पति है ।

(ग) क्या न्यास की सम्पति इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत है

(घ) न्यास के न्यासियो के प्रबन्धक का नाम पते ।

(ङ) न्यास मे न्यासियो की [illegible] नियमित

अधिकारी

7/6/97

Scanned with CamScanner

(च) न्यास का उद्भाव प्रकृति क्या होगा।

(छ) न्यास की वार्षिक आय तथा व्यय।

(ज) आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा (4)(3) के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन की सत्यता।

5-प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा ट्रस्टियों को सुना गया।

6-अधिनियम की धारा -5(1) के अधीन जांच करने के उपरान्त उपरोक्त वर्णित पैरा के सम्बन्ध मे मै निम्नानुसार निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ।

(क) शाक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा न्यास का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय करना है। अतः अधिनियम की धारा -2 (4) के अधीन शाक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा न्यास एक जनता की भलाई का न्यास है।

(ख)-प्रकरण मे संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शाक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा न्यास की अचल सम्पत्ति ग्राम छिन्दवाड़ा मे ब्लाक नम्बर 45नजूल प्लाट क्रमांक 2/1, 2/2, जुमला क्षेत्रफल 9,09799 वर्गफुट जमीन है।

(ग) न्यास की अचल सम्पत्ति मेरे अधिकार क्षेत्र अर्न्तगत तहसील व जिला छिन्दवाड़ा मे स्थित है।

(घ) शाक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा ट्रस्ट के न्यासियों के नाम व पते अपने प्रतिवेदन के साथ दिये गये है जो निम्नानुसार है :-

(1)-रानी इन्दुमति विधवा राजा बहादुर लीलाधर सिंह निवासी छिन्दवाड़ा

(2)-कुं० आनंदा देवी पुत्री श्री राजबहादुर, लीलाधरसिंह निवासी छिन्दवाड़ा

3-श्रीमती लक्ष्मीबाई पति श्री व्ही०एम० चितले अधिवक्ता तिलक नगर बिलासपुर।

4- श्रीमती सुधा राजपूत पत्नी जी०एल०एस० राजपूत सेवा निवृत जिलाध्यक्ष, सिविल लाईन नरसिंहपुर।

5- श्रीमती रेणु वर्मा पत्नि डा० प्रकाश चन्द्र वर्मा सिविल लाईन छिन्दवाड़ा।

उपरोक्त न्यासियों के विरुद्ध कोई विपरीत अभुक्ति इस न्यायालय मे प्राप्त नही है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10/3/89

7/8/19
अनुविभागीय अधिकारी
छिन्दवाड़ा

Scanned with CamScanner

के अनुसार न्यास के उपरोक्त वर्णित न्यासी होंगे ।

(ङ) - आवेदक व्दारा न्यास के सम्बन्ध में नियमावली प्रस्तुत की गई है । जो प्रदर्श पी-1 न्यास के कार्यकारिणी मंडल की संख्या -5 होगी आवेदक ने नियमावली में न्यासी मंडल संयोजक, एवं कार्यकारी समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चयन एवं उनकी चयन एवं चयन की प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख किया है । आवेदक व्दारा प्रस्तुत नियमावली प्रदर्श पी-1 को इस आदेश का ही एक अंग माना जाता है ।

(च) न्यास का उद्देश्य :- शक्ति ट्रस्ट का उद्देश्य जनता की सेवा एवं छात्रों को छात्रवृति का प्रदाय करने बावत ।

(छ)-शक्ति ट्रस्ट की आय व्यय :- सदस्यों व्दारा प्राप्त दान राशि से ।

(ज) आवेदक व्दारा अधिनियम की धारा -4(3) के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । आवेदक व्दारा अपने आवेदन में जो तथ्य उठाये है । उससे य ह स्पष्ट होता है कि इस न्यास का उद्देश्य जनता की सेवा करना एवं गरीब छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना है । चुंकि आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में किसी पकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति मे आवेदक व्दारा अधिनियम की धारा -4(3) के अधी अधीन प्रस्तुत आवेदन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

7- उपरोक्त विवेचना से मे इस निष्कर्ष पर पहुंचता हू कि शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा अधिनियम की धारा -2(4) के अधीन लोक न्यास है जिसकी अचल सम्पति छिन्दवाड़ा स्थित ब्लाक नम्बर 45 नजूल प्लाट नम्बर2/1,2/2 क्षेत्रफल909799 वर्गफूट जमीन ~~न्यास की सम्पत्ति~~ है । चल सम्पति निरंक है ।

8- अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा को लोक न्यास मानते हुये इसका पंजीकरण किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

9- चुंकि शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा लोक न्यास है । अतः अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत यह आदेश दिये जाते है कि अधिनियम की धारा -35 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 3(1)(ब)(2) के अनुसार संधारित की जाने वाली पंजियां (प्रारूप 1)(ब) (1) के उपरोक्त की विधिवत प्रविष्टियां की जाए तथा इन प्रविष्टियों का प्रकाशन न्यायालय के सूचना फलक पर की जाए । इसके साथ ही साथ मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-8 के

7/6/19
अनुविभागीय अधिकारी
छिन्दवाड़ा

Scanned with CamScanner

अन्तर्गत प्रारूप-।।। मे इस आदेश की प्रविष्टि की जाए ।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पक्षकार सूचित हो ।

आदेश की प्रति कलेक्टर, छिन्दवाड़ा तथा आवेदक को भेजी दी जाए ।

PS 7/6/97

अनुविभागीय अधिकारी, /
पंजीयक लोक न्यास, छिन्दवाड़ा

पृष्टांकन क्रमांक / 838 /पु-1/अ. वि. अ./97, छिन्दवाड़ा दिनांक

प्रतिलिपि:-

1- कलेक्टर, छिन्दवाड़ा को सूचनार्थ ।

2- अध्यक्ष, शक्ति ट्रस्ट छिन्दवाड़ा को सूचनार्थ ।

PS 7/6/97

अनुविभागीय अधिकारी,
पंजीयक लोक न्यास, छिन्दवाड़ा

661

Scanned with CamScanner